

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 30-04-2025

विषय सूची

ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड (GMB)

USTR ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा पर 2025 की "विशेष 301 रिपोर्ट" जारी की

भारत में डीप टेक स्टार्ट-अप्स के लिए अपर्याप्त समर्थन: अध्ययन

भारत में स्टारलिनक के प्रवेश के लिए वार्ता

भारत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 49% विदेशी हिस्सेदारी की अनुमति देने पर विचार कर रहा है

जलवायु-संचालित चरम मौसम घटनाएँ

संक्षिप्त समाचार

रघुजी भोसले

मुज़िरिस विरासत परियोजना

ज्ञान पोस्ट

उच्च तापमान और आम उत्पादन

प्रथम बार जलीय कृषि बीमा योजना

कुइपर इंटरनेट

'.bank.in' डोमेन पर स्थानांतरण

राष्ट्रीय अभिलेखागार का अधिग्रहण

ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड (GMB)

समाचार में

- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत, गाज़ियाबाद ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया, जिससे ₹150 करोड़ जुटाए गए। इस राशि का उपयोग आधुनिक तृतीयक सीवेज उपचार संयंत्र (TSTP) के निर्माण के लिए किया जाएगा।

ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में

- म्यूनिसिपल बॉन्ड वह ऋण साधन है जिसे शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) या नगर निगम बुनियादी ढाँचे और सार्वजनिक सेवा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए जारी करते हैं।
- ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड एक विशेष प्रकार का म्यूनिसिपल बॉन्ड है, जिसका उपयोग विशेष रूप से पर्यावरणीय रूप से स्थायी एवं जलवायु-प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में किया जाता है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, जल उपचार, और अपशिष्ट प्रबंधन।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243W शहरी स्थानीय निकायों को जल आपूर्ति, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रदान करता है, जिससे उन्हें बॉन्ड जारी करने की पात्रता मिलती है।

ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड का महत्व

- सतत विकास – यह ESG (पर्यावरण, सामाजिक, शासन) निवेश सिद्धांतों से सुसंगत है।
- कम लागत वाली पूँजी – यह लंबी अवधि का वित्तपोषण प्रदान करता है, जो व्यावसायिक बैंक ऋणों की तुलना में अधिक किफायती होता है।
- निवेशक आधार का विस्तार – यह संस्थागत और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित कर सकता है, जिससे पारंपरिक घरेलू ऋणों पर निर्भरता कम होती है।
- बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा – यह जल उपचार, स्वच्छता, और अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं में सहायता करता है।

चुनौतियाँ

- सीमित वित्तीय क्षमता – कई नगर निकायों के पास स्वतंत्र रूप से बॉन्ड जारी करने के लिए आवश्यक वित्तीय विशेषज्ञता और क्रेडिट योग्यता नहीं होती।

- नियामकीय बाधाएँ – जटिल अनुमोदन प्रक्रिया और सीमित बाजार पहुँच ग्रीन बॉन्ड की तेजी से स्वीकृति को बाधित करती हैं।
- निरासक और जवाबदेही – कोष के पारदर्शी उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को सुनिश्चित करना कठिन होता है।
- निवेशक जागरूकता की कमी – घरेलू निवेशकों में ग्रीन फाइनेंस उपकरणों की जानकारी सीमित होने के कारण माँग कम होती है।

आगे की राह

- क्षमता निर्माण – ULBs को वित्तीय नियोजन, ESG अनुपालन, और परियोजना मूल्यांकन में प्रशिक्षित किया जाए।
- नीतिगत प्रोत्साहन – कर छूट, जोखिम गारंटी, और सरलीकृत ढाँचे की पेशकश की जाए।
- मजबूत सत्यापन तंत्र – तीसरे पक्ष प्रमाणन प्रणाली विकसित की जाए, जो ग्रीन बॉन्ड की प्रामाणिकता और प्रभाव को ट्रैक कर सके।
- निवेशक पहुँच का विस्तार – पेंशन फंड, बीमा कंपनियों, और ESG-फोकस्ड निवेशकों को लक्षित किया जाए।
- राष्ट्रीय मिशनों के साथ समन्वय – AMRUT, स्मार्ट सिटी मिशन, और जल जीवन मिशन के साथ ग्रीन वित्त पहलों को जोड़कर अधिक प्रभावी बनाया जाए।

Source: PIB

USTR ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा पर 2025 की "विशेष 301 रिपोर्ट" जारी की

समाचार में

- संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने अमेरिकी व्यापार साझेदारों द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण और प्रवर्तन की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता का आकलन करते हुए अपनी 2025 विशेष 301 रिपोर्ट जारी की।

“स्पेशल 301” रिपोर्ट

- यह IP संरक्षण और प्रवर्तन की वैश्विक स्थिति की वार्षिक समीक्षा है।
- USTR 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 182 के अनुसार यह समीक्षा करता है, जिसे 1988 के सर्वव्यापी व्यापार और प्रतिस्पर्धात्मकता अधिनियम और उरुग्वे दौर समझौते अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है।
- इसका उद्देश्य कमजोर प्रवर्तन, अपर्याप्त व्यापार रहस्य संरक्षण, भेदभावपूर्ण नवाचार नीतियों, ऑनलाइन चोरी, नकली सामान और प्रतिबंधात्मक बाजार पहुँच उपायों सहित आईपी अधिकारों में बाधा डालने वाली चुनौतियों की पहचान करके और उनका समाधान करके नवाचार को बढ़ावा देना है।
- नवीनतम रिपोर्ट में, 100 से अधिक व्यापारिक साझेदारों की समीक्षा की गई, जिनमें से 26 को प्राथमिकता निगरानी सूची या निगरानी सूची में रखा गया।
 - चल रहे युद्ध के कारण यूक्रेन की समीक्षा को निलंबित कर दिया गया था।

Priority Watch List	Watch List	
<ul style="list-style-type: none"> Argentina Chile China India Indonesia Mexico Russia Venezuela 	<ul style="list-style-type: none"> Algeria Barbados Belarus Bolivia Brazil Bulgaria Canada Colombia Ecuador 	<ul style="list-style-type: none"> Egypt Guatemala Pakistan Paraguay Peru Thailand Trinidad and Tobago Türkiye Vietnam

भारत संबंधी निष्कर्ष और चिंताएँ

- भारत को 2025 स्पेशल 301 रिपोर्ट में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) द्वारा फिर से ‘प्राथमिक निगरानी सूची’ में रखा गया है।
- यह निर्णय बौद्धिक संपदा (IP) संरक्षण और प्रवर्तन से जुड़ी मौजूदा चिंताओं के कारण लिया गया है।
- हालाँकि पेटेंट नियमों में संशोधन और अमेरिका के साथ बढ़ते सहयोग जैसे कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन भारत को अभी भी अस्पष्ट पेटेंट कानून, लंबी स्वीकृति प्रक्रियाएँ, कमजोर कॉपीराइट प्रवर्तन, और व्यापार रहस्य सुरक्षा की कमी को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

- रिपोर्ट में अनधिकृत फ़ाइल साझा करने, पायरेसी, और IP-केंद्रित उत्पादों पर उच्च सीमा शुल्क जैसी चुनौतियों को प्रकट किया गया है।

भारत द्वारा उठाए गए कदम और प्रगति

- भारत ने IP सुरक्षा और प्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
- विशेष रूप से, पेटेंट पूर्व-अनुमोदन विरोध प्रक्रिया और जटिल रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से जुड़े मुद्दों को आंशिक रूप से हल करने हेतु पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 अधिसूचित किए गए हैं।

भविष्य की दिशा

- अमेरिका इन संशोधनों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और आगे सुधारों को प्रोत्साहित करेगा ताकि पेटेंट लंबित समय को कम किया जा सके और पेटेंट प्रणाली को समग्र रूप से बेहतर बनाया जा सके।

क्या आप जानते हैं?

- विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 के अनुसार, भारत तीनों प्रमुख बौद्धिक संपदा श्रेणियों-पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन में वैश्विक स्तर पर शीर्ष दस देशों में शामिल है।
- 2023 में, भारत ने शीर्ष 20 देशों में पेटेंट आवेदनों (15.7%) में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की, जो 64,000 से अधिक फाइलिंग के साथ वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर रहा, जिनमें से आधे से अधिक भारत में रहने वाले लोगों द्वारा किए गए थे।
- पेटेंट अनुदान में वर्ष-दर-वर्ष 149.4% की वृद्धि हुई, जो तेजी से विकसित हो रहे IP पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है।
- 2018 और 2023 के बीच, पेटेंट और डिजाइन फाइलिंग दोगुनी से अधिक हो गई, जबकि ट्रेडमार्क में 60% की वृद्धि हुई और भारत का पेटेंट-टू-जीडीपी अनुपात लगभग तीन गुना हो गया।
- औद्योगिक डिजाइन आवेदनों में 36.4% की वृद्धि हुई, जिसका नेतृत्व कपड़ा, उपकरण और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों ने किया।

- भारत 2023 में वैश्विक ट्रेडमार्क फाइलिंग में चौथे स्थान पर रहा, जिसमें 90% स्थानीय लोगों द्वारा दायर किए गए, और अब विश्व में सक्रिय ट्रेडमार्क पंजीकरणों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या (3.2 मिलियन) है।
- ये प्रवृत्ति भारत के नवाचार और आईपी-संचालित विकास पर बढ़ते फोकस को प्रकट करते हैं।

Source :TH

भारत में डीप टेक स्टार्ट-अप्स के लिए अपर्याप्त समर्थन: अध्ययन

संदर्भ

- प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा कराए गए तथा भारतीय उद्योग परिसंघ और अन्य द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि भारत में सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास संगठनों द्वारा डीप टेक स्टार्ट-अप्स को दिए जाने वाले समर्थन में महत्वपूर्ण अंतराल है।

डीप टेक स्टार्ट-अप्स के बारे में

- डीप टेक्नोलॉजी का तात्पर्य उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताओं जैसे कि एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस टेक और इसकी विघटनकारी प्रकृति पर आधारित नवाचारों से है।

Just about 4 of India's 117 unicorns can be considered deep tech

⊙Ather Energy ⊙Fractal ⊙Krutrim AI ⊙Netradyne

Less than one-tenth of Startup India start-ups have raised funding

1,62,134

Total start-ups recognised by DPIIT as of date

15,597

Number of start-ups that have raised funding out of these start-ups

- डीप टेक स्टार्ट-अप मुख्य रूप से अपने प्रौद्योगिकी-संचालित दृष्टिकोण, लंबे विकास चक्र और उच्च जोखिम कारकों में पारंपरिक स्टार्ट-अप से भिन्न होते हैं।
 - ▲ पारंपरिक स्टार्ट-अप अक्सर ई-कॉमर्स, SaaS या उपभोक्ता सेवाओं जैसे व्यवसाय मॉडल नवाचार पर निर्भर करते हैं।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- सीमित इनक्यूबेशन समर्थन: केवल चार में से एक सार्वजनिक-वित्त पोषित R&D संगठन स्टार्टअप्स को इनक्यूबेशन समर्थन प्रदान करता है। डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए समर्थन और भी कम है, केवल छह में से एक संस्थान ही इस तरह की पहल में संलग्न होता है।
- कमजोर उद्योग सहयोग: मात्र 15% संगठन विदेशी उद्योगों के साथ सहयोग करते हैं, जिससे वैश्विक साझेदारियों की तत्काल आवश्यकता प्रकट होती है।
- सुविधाओं की सीमित पहुँच: आधे संगठन अपनी संरचना को बाहरी शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए नहीं खोलते, जिससे ज्ञान साझा करने और नवाचार के अवसर कम हो जाते हैं।

बजट आवंटन और कार्यबल प्रवृत्तियाँ

- R&D व्यय: केंद्रीय सरकार का R&D व्यय 2020-21 में लगभग ₹55,685 करोड़ था, जिसमें ₹24,587 करोड़ प्रमुख वैज्ञानिक एजेंसियों को आवंटित किए गए थे।
- लगभग 25% भाग लेने वाले संस्थानों ने अपनी 75%-100% बजट राशि R&D में खर्च की, जबकि कुछ संस्थान औसत से नीचे रहे।
- स्थायी कर्मचारियों की संख्या में गिरावट: 2021-22 से 2022-23 के बीच स्थायी कर्मचारियों की संख्या घटी, जिससे अनुबंधित कर्मचारियों पर निर्भरता बढ़ी।
- युवा शोधकर्ताओं की भागीदारी: इसका प्रतिशत 58% तक बढ़ा, जो पिछले वर्ष 54% था, हालाँकि 2017-18 से 2019-20 के बीच यह संख्या 63% से 65% रही थी।

डीप टेक स्टार्टअप्स से संबंधित प्रयास

- राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति (NDTSP): यह भारत में डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने और अनुसंधान-आधारित नवाचार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। इसका केंद्र बिंदु आर्थिक सुरक्षा, ज्ञान-संचालित वृद्धि, और नैतिक नवाचार है।
- क्वांटम कंप्यूटिंग और डीप टेक नवाचार: भारत क्वांटम कंप्यूटिंग में तेजी से प्रगति कर रहा है, जहाँ QpiAI जैसे स्टार्टअप्स उन्नत क्वांटम प्रणालियाँ

विकसित कर रहे हैं। **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन** जीवन विज्ञान, दवा खोज और सस्टेनेबिलिटी में डीप टेक उपक्रमों का समर्थन करता है।

डीप टेक नवाचार को मजबूत करने के लिए सिफारिशें

- उद्योग सहयोग को बढ़ावा: घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों के साथ मजबूत संबंध बनाकर नवाचार को बढ़ावा देना और वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ उठाना।
- डीप टेक और स्टार्टअप्स पर ध्यान: डीप टेक उपक्रमों और इनक्यूबेशन कार्यक्रमों के समर्थन को बढ़ाएँ ताकि उभरती तकनीकों में क्रांतिकारी प्रगति हो सके।
- सुविधाओं की खुली पहुँच: सार्वजनिक R&D संस्थान बाहरी शोधकर्ताओं और छात्रों को अधिक पहुँच प्रदान करना, जिससे ज्ञान साझेदारी और अंतर-अनुशासनिक अनुसंधान को प्रोत्साहन मिले।
- विकसित भारत लक्ष्यों से समन्वय: भारत के विकसित भारत@2047 लक्ष्य को तेजी से हासिल करने के लिए, सार्वजनिक-वित्त पोषित R&D संस्थानों को अपने नियंत्रण व नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और राष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए।

Source: TH

भारत में स्टारलिनक के प्रवेश के लिए वार्ता

संदर्भ

- स्टारलिनक ने भारत में उपग्रह संचार, दूरसंचार, और ब्रॉडबैंड क्षेत्रों में प्रमुख अभिकर्ताओं के साथ चर्चा प्रारंभ की है, ताकि अपने सेवाओं के विस्तार में तेजी लाई जा सके।

स्टारलिनक क्या है?

- स्टारलिनक एक SpaceX द्वारा विकसित उपग्रह इंटरनेट सेवा है, जिसे विशेष रूप से उच्च गति, कम विलंबता ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित किया गया है।

- यह सेवा उन क्षेत्रों में इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन की गई है, जहाँ पारंपरिक नेटवर्क बुनियादी ढाँचा सीमित या अनुपलब्ध है।
- स्टारलिनक लगभग 7,000 से अधिक छोटे उपग्रहों की निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में स्थित संरचना का उपयोग करता है।

भारत में स्टारलिनक पर लागू नियामक ढाँचे

- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885: स्टारलिनक को भारतीय दूरसंचार विभाग (DoT) से VSAT लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 के तहत अनिवार्य है।
- दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997: TRAI लाइसेंसिंग और स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण पर परामर्श देता है, जो स्टारलिनक की सेवाओं को प्रभावित कर सकता है।
- दूरसंचार अधिनियम, 2023: यह कानून स्पेक्ट्रम आवंटन को नियंत्रित करता है और Ku- एवं Ka-बैंड आवृत्तियों के उपयोग के साथ मूल्य निर्धारण, सुरक्षा और हस्तक्षेप नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।
- उपग्रह संचार नीति, 2000 और IN-SPACe: स्टारलिनक को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) के साथ समन्वय करना होगा ताकि उसके उपग्रह भारतीय परिसंपत्तियों में हस्तक्षेप न करें।
- आईटी अधिनियम, 2000 और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम, 2023: स्टारलिनक को साइबर सुरक्षा, कानूनी डेटा पहुँच, और उपयोगकर्ता गोपनीयता संरक्षण सुनिश्चित करना होगा।

भारत के लिए स्टारलिनक के लाभ

- ग्रामीण कनेक्टिविटी: यह उन क्षेत्रों में उच्च गति इंटरनेट प्रदान करता है, जहाँ फाइबर-ऑप्टिक या मोबाइल टावर उपलब्ध नहीं हैं।
- आर्थिक सशक्तीकरण: यह ग्रामीण शिक्षा, ई-स्वास्थ्य, कृषि-तकनीक, और ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है।

- सामरिक महत्त्व: आपदा संचार, सैन्य कनेक्टिविटी और सीमा क्षेत्र बुनियादी ढाँचे को मजबूत करेगा।
- डिजिटल समावेशन: यह डिजिटल इंडिया और भारतनेट लक्ष्यों से सुसंगत है।

भारत में स्टारलिनक के प्रवेश में चुनौतियाँ

- VSAT लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली है, जिसमें तकनीकी मूल्यांकन और वित्तीय जाँच शामिल है।
- दूरसंचार अधिनियम, 2023 प्रशासनिक उपग्रह स्पेक्ट्रम आवंटन की अनुमति देता है, लेकिन DoT और TRAI के बीच मूल्य निर्धारण और उपयोग शर्तों को लेकर मतभेद हैं।
- गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों से सुरक्षा मंजूरी अभी तक नहीं मिली है।

स्टारलिनक के प्रवेश को लेकर उठी चिंताएँ

- स्टारलिनक के उच्च पूँजीगत व्यय और नियामक दायित्वों के कारण इसकी सेवा भारत में प्रीमियम मूल्य पर लॉन्च होने की संभावना है।
- सैटेलाइट डिश, राउटर, और अन्य हार्डवेयर की लागत अधिकांश ग्रामीण परिवारों के लिए महँगी हो सकती है।
- यह सेवा शुरुआत में संस्थानों, दूरस्थ व्यवसायों और उच्च-नेट-वर्थ व्यक्तियों को लक्षित कर सकती है, बजाय उन ग्रामीण क्षेत्रों के जिनकी यह सेवा करने की योजना रखता है।
- अनियमित उपयोग: कुछ रिपोर्टों में गैरकानूनी गतिविधियों के लिए उपकरणों के दुरुपयोग की आशंका जताई गई है।

निष्कर्ष

- जैसे-जैसे भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था के नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है, स्टारलिनक का अनुभव यह दर्शाता है कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुकूलनीय, पारदर्शी और सुरक्षित नियामक ढाँचे की आवश्यकता है।
- उपग्रह इंटरनेट के एकीकरण से ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम किया जा सकता है और लाखों

लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बाजार और शासन तक पहुँच प्रदान की जा सकती है, जिससे एक अधिक समावेशी और जुड़े हुए समाज का निर्माण होगा।

Sources: TH

भारत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 49% विदेशी हिस्सेदारी की अनुमति देने पर विचार कर रहा है

सन्दर्भ

- कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए भारत विदेशी कंपनियों को अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 49% तक हिस्सेदारी लेने की अनुमति दे सकता है।

पृष्ठभूमि


- परंपरागत रूप से, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का स्वामित्व और संचालन केवल राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम (BHAVINI) के पास है।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के लिए सरकार ने प्रमुख कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है;
 - ▲ परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962, परमाणु ऊर्जा विकास और विनियमन के लिए एक रूपरेखा।
 - ▲ परमाणु क्षति अधिनियम, 2010 के लिए नागरिक दायित्व, परमाणु घटनाओं के लिए मुआवजा तंत्र सुनिश्चित करना।

परमाणु ऊर्जा क्या है??

- परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जो परमाणु प्रतिक्रियाओं के दौरान निकलती है, या तो विखंडन (परमाणु नाभिक का विखंडन) या संलयन (परमाणु नाभिक का विलय) के माध्यम से।
- परमाणु विखंडन में, भारी परमाणु नाभिक, जैसे कि यूरेनियम या प्लूटोनियम, हल्के नाभिक में विभाजित हो जाते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है।
 - ▲ इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।

भारत में परमाणु ऊर्जा क्षमता की स्थिति

- देश में वर्तमान में स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 8,180 मेगावाट (कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 2%) है, जो 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में फैली हुई है।
- क्षमता विस्तार: गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 10 नए रिएक्टर (कुल 8 गीगावाट) निर्माणाधीन हैं।
 - अमेरिका के सहयोग से आंध्र प्रदेश में 6×1208 मेगावाट के परमाणु संयंत्र के लिए स्वीकृति।



विदेशी और निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता

- स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण:** भारत कोयले पर बहुत अधिक निर्भर है, जो इसकी 70% से अधिक विद्युत के लिए जिम्मेदार है।
 - परमाणु ऊर्जा, एक स्थिर और कम कार्बन स्रोत होने के कारण, बेसलोड आपूर्ति से समझौता किए बिना उत्सर्जन को कम करने के लिए आवश्यक है।
- उच्च पूँजी लागत:** परमाणु परियोजनाओं के लिए बड़े अग्रिम निवेश की आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने से संसाधन जुटाने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में तेजी आएगी।
- 2008 के भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते के पश्चात्, भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु बाजारों तक पहुँच मिली। हालाँकि, देयता संबंधी चिंताओं के कारण अपेक्षित वाणिज्यिक सहयोग विफल हो गए।

विचाराधीन सुधार प्रस्ताव

- न्यूक्लियर सेक्टर में 49% तक FDI:** सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन पर विचार कर रही है, जिससे विदेशी कंपनियों को न्यूक्लियर पावर उपक्रमों में हिस्सेदारी रखने की अनुमति मिलेगी।

- परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962:** प्रस्तावित संशोधन निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण, स्वामित्व, और संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान करने की अनुमति देंगे।
- न्यूक्लियर क्षति के लिए नागरिक उत्तरदायित्व अधिनियम, 2010:** 1984 भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात् यह कानून लागू किया गया था, जो आपूर्तिकर्ताओं पर कठोर जिम्मेदारी निर्धारित करता है, जिससे विदेशी भागीदारी में कमी आई है।
 - प्रस्तावित संशोधन के तहत ऑपरेटर को आपूर्तिकर्ता से मुआवजा माँगने का अधिकार अनुबंध मूल्य तक सीमित और निर्धारित अवधि तक सीमित रहेगा।
 - ड्राफ्ट कानून छोटे रिएक्टर ऑपरेटरों पर देयता सीमा \$58 मिलियन तक करने का प्रस्ताव करता है, लेकिन बड़े रिएक्टर ऑपरेटरों के लिए मौजूदा सीमा \$175 मिलियन पर बनी रहने की संभावना है।

नियामक एवं सुरक्षा निरीक्षण

- परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) और परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE)** सभी गतिविधियों की निगरानी जारी रखेंगे।
- निवेश मानदंडों में कोई भी छूट** भारत के सुरक्षा प्रोटोकॉल और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) दिशानिर्देशों के कठोर अनुपालन के साथ लागू की जाएगी।

आगे की राह

- स्पष्ट नियामक ढाँचा:** सुरक्षा, अनुपालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत नियामक ढाँचा तैयार किया जाए, जिससे जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान किया जा सके।
- क्रमिक कार्यान्वयन:** पायलट प्रोजेक्ट्स और छोटे स्तर की पहल से शुरुआत की जाए, ताकि निजी क्षेत्र की भागीदारी का परीक्षण किया जा सके और बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन से पहले जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

Source: ET

जलवायु-संचालित चरम मौसम घटनाएँ

संदर्भ

- Nature Geoscience में प्रकाशित एक नए अध्ययन से पता चलता है कि भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून से प्रेरित चरम मौसम घटनाएँ बंगाल की खाड़ी की समुद्री उत्पादकता को स्थायी रूप से बाधित कर सकती हैं।

अध्ययन के बारे में

- यह अध्ययन पिछले 22,000 वर्षों के दौरान मानसून परिवर्तनशीलता और बंगाल की खाड़ी के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के बीच महत्वपूर्ण संबंध को प्रकट करता है।
- फोरामिनिफेरा माइक्रोफॉसिल का उपयोग करके पिछले समुद्री परिस्थितियों का पुनर्निर्माण किया गया, जिससे यह समझने में सहायता मिली कि मानसून और महासागरीय रसायन वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति कैसे विकसित हुए।
 - ▲ फोरामिनिफेरा के कैल्शियम कार्बोनेट शेल पर्यावरणीय डेटा को संरक्षित करते हैं।
- यह अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई जलवायु मॉडल मानवीय कारणों से हो रही गर्मी के प्रभाव को देखते हुए मानसून में बड़ी गड़बड़ी की चेतावनी देते हैं।

प्रमुख निष्कर्ष

- इतिहास में असामान्य रूप से कमजोर और मजबूत मानसून महासागरीय मिश्रण में भारी व्यवधान का कारण बने, जिससे समुद्री जीवन के भोजन में 50% तक की कमी देखी गई।
- मिश्रण में गड़बड़ी के कारण प्लवक (plankton) का अकाल होता है।
- समुद्री उत्पादकता: Heinrich Stadial 1 (17,500 से 15,500 वर्ष पहले का एक ठंडा चरण) और प्रारंभिक होलोसीन (लगभग 10,500 से 9,500 वर्ष पहले) के दौरान समुद्री उत्पादकता में तेज गिरावट आई, जब मानसून असामान्य रूप से कमजोर या मजबूत था।

जलवायु संकट

- ▲ Heinrich Stadial 1 और प्रारंभिक होलोसीन के दौरान हुए पतन दर्शाते हैं कि चरम मानसून और उत्पादकता में गिरावट के बीच स्पष्ट संबंध है।
- ▲ भविष्य के जलवायु मॉडल गर्म सतही जल और अस्थिर मानसून व्यवहार का पूर्वानुमान देते हैं—ये स्थितियाँ इतिहास में दर्ज संकटों के समान हैं।
- ▲ महासागर प्लवक का समर्थन नहीं कर पाएगा, जिससे समुद्री खाद्य शृंखला गंभीर रूप से प्रभावित होगी।

चिंताएँ और प्रभाव

- ▲ बंगाल की खाड़ी महासागर की कुल सतह का 1% से कम है, लेकिन यह वैश्विक मत्स्य उत्पादन का ~8% योगदान देती है।
- ▲ हिलसा मछली, जो दक्षिण एशिया में प्रोटीन और आय का एक प्रमुख स्रोत है, विशेष रूप से संकट में है।
- ▲ 150+ मिलियन लोग बंगाल की खाड़ी की मछली पकड़ने की गतिविधियों पर निर्भर हैं; बांग्लादेश का पारंपरिक मत्स्य क्षेत्र, जो 80% राष्ट्रीय समुद्री उत्पादन प्रदान करता है, पहले से ही अत्यधिक मत्स्य पालन के कारण दबाव में है।

सिफारिशें

- जलवायु मॉडल को मजबूत करना ताकि मानसून के प्रभावों का सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सके।
- संवेदनशील पारंपरिक मत्स्य क्षेत्रों में स्थायी मत्स्य प्रबंधन को लागू करना।
- कार्बन उत्सर्जन पर कार्रवाई तेज करना, क्योंकि मानवजनित ग्लोबल वार्मिंग मानसून के उतार-चढ़ाव को बढ़ा रही है।
- सतत संसाधन योजना और संरक्षण नीतियों के माध्यम से तटीय समुदायों की सुरक्षा करना।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

रघुजी भोसले

- संदर्भ
 - ▲ महाराष्ट्र सरकार ने महान मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की प्रसिद्ध तलवार को पुनः प्राप्त किया है।
- रघुजी भोसले प्रथम (1695–1755)
 - ▲ वह नागपुर स्थित भोसले वंश के संस्थापक और छत्रपति शाहू महाराज के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख मराठा सेनापति थे।
 - ▲ उनकी वीरता और सैन्य दक्षता से प्रभावित होकर, छत्रपति शाहू महाराज ने उन्हें 'सेनासाहेब सुब्हा' की उपाधि प्रदान की।
 - ▲ रघुजी ने 1745 और 1755 में बंगाल में महत्वपूर्ण सैन्य अभियान चलाए, जिससे मराठा साम्राज्य का विस्तार बंगाल और ओडिशा तक हुआ।
 - ▲ उन्होंने कुर्नूल और कडप्पा के नवाबों को पराजित किया, जिससे दक्षिण भारत में मराठा प्रभाव बढ़ा।
- तलवार के बारे में
 - ▲ यह तलवार मराठा शस्त्रशैली 'फिरंगी' की है, जिसकी विशेषता एक सीधी, एकधारी यूरोपीय ब्लेड है, जिसे स्थानीय रूप से निर्मित मुल्हेरी हिल्ट के साथ जोड़ा गया है, जो जटिल स्वर्ण जड़ाऊ कारीगरी से सुसज्जित है।
 - ▲ हिल्ट के पास स्वर्ण जड़ित देवनागरी लिपि में 'श्रीमंत रघुजी भोसले सेनासाहेब सुब्हा फिरंग' अंकित है, जिससे पता चलता है कि यह शिलालेख या तो रघुजी भोसले के लिए बनाया गया था या उन्होंने इसे स्वयं प्रयोग किया था।

Source: IE

मुज़िरिस विरासत परियोजना

- संदर्भ
 - ▲ केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता ने हाल ही में इतिहासकार एम.जी.एस. नारायणन को

मुज़िरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट के पीछे एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्वीकार किया, बावजूद इसके कि उनके सैद्धांतिक मतभेद थे।

- परियोजना के बारे में
 - ▲ मुज़िरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट (MHP), जो 2009 में प्रारंभ किया गया, भारत के सबसे बड़े विरासत संरक्षण प्रयासों में से एक है।
 - ▲ यह केरल सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से यूनेस्को के सहयोग से लागू किया जाता है, जिसका उद्देश्य 3,000 वर्षों से अधिक पुरानी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है।
 - ▲ इस परियोजना का लक्ष्य मुज़िरिस को पुनर्स्थापित और प्रचारित करना है, जो एक प्राचीन समुद्री व्यापार केंद्र और संस्कृति का संगम था।
- क्या आप जानते हैं?
 - ▲ मुज़िरिस भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट पर स्थित एक समृद्ध बंदरगाह था, जो ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था।
 - ▲ यह यूनानियों, रोमनों, अरबों, और मिस्रियों के साथ मसाले, मोती, रत्न, हाथीदांत, और रेशम के व्यापार का प्रमुख केंद्र था।
 - ▲ यह बंदरगाह अचानक ऐतिहासिक अभिलेखों से गायब हो गया, संभवतः प्राकृतिक आपदाओं के कारण।

Source: TH

ज्ञान पोस्ट

समाचार में

- संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ज्ञान पोस्ट सेवा के शुभारंभ की घोषणा की।

ज्ञान पोस्ट

- यह नई इंडिया पोस्ट सेवा है, जो पूरे देश में शिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक, और धार्मिक पुस्तकों की कम लागत वाली डिलीवरी प्रदान करेगी।
- यह ट्रैक करने योग्य सतह परिवहन का उपयोग करके लागत को कम रखेगी और सुलभता सुनिश्चित

करेगी, जिससे स्थान या सामर्थ्य की परवाह किए बिना शिक्षा की खाई को पाटने की प्रतिबद्धता दर्शाती है।

- ▲ केवल स्पष्ट रूप से अंकित प्रकाशकों या मुद्रकों द्वारा मुद्रित सामग्री ही पात्र होगी।
- यह सेवा 1 मई से प्रारंभ की जाएगी।

उद्देश्य

- यह इंडिया पोस्ट की सार्वजनिक सेवा और शिक्षा सशक्तीकरण की भूमिका को मजबूत करता है।
- इसका लक्ष्य सीखने की पहुँच को बढ़ाना, विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में।
- यह नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को समर्थन देता है, जिससे शैक्षिक सामग्री भारत के प्रत्येक स्थान तक पहुँच सके।

Source: AIR

उच्च तापमान और आम उत्पादन

संदर्भ

- बढ़ते तापमान के कारण आम की उत्पादकता प्रभावित हुई है।

विवरण

- IMD रिपोर्ट (2024): 2024 सबसे गर्म वर्ष था 1901 के बाद से। पिछले 12 वर्षों में लगातार पहले की दशकों की तुलना में अधिक गर्मी रही।
- यह लंबे समय तक जारी रहने वाली गर्मी सामान्य वार्षिक तापमान परिवर्तनशीलता को चुनौती देती है।

भारत में आम की उत्पादकता प्रवृत्ति

- 2024-25 में आम की उत्पादकता 9.4 MT प्रति हेक्टेयर रहने की संभावना है।
- यह चीन (8.74 MT/Ha) और थाईलैंड (8.36 MT/Ha) जैसे अन्य प्रमुख उत्पादकों से अधिक है।
- भारत विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके पश्चात् चीन का स्थान है।
- उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य है, इसके पश्चात् आंध्र प्रदेश और बिहार का स्थान हैं।

तापमान तनाव और पौधों की शारीरिक प्रक्रियाएँ

- अत्यधिक गर्मी के कारण:
 - ▲ फल गिरना, जल्दी पकना, धूप से झुलसना, असमान पकाव जैसी समस्याएँ होती हैं।
 - ▲ स्पंजी टिशू जैसी विकृतियाँ विशेष रूप से अल्फांसो किस्म में देखी जाती हैं।

जलवायु परिस्थितियाँ

- तापमान: आदर्श सीमा 24°C से 30°C है।
 - ▲ 48°C तक का तापमान अल्प अवधि के लिए सहन कर सकता है।
 - ▲ ठंड और ठंडी हवाओं के प्रति संवेदनशील होता है, जो फूलों और छोटे फलों को हानि पहुँचा सकती हैं।
- वर्षा: आम के लिए 890-1,015 मिमी वार्षिक वर्षा आदर्श मानी जाती है।
 - ▲ आम की खेती अत्यधिक (2540 मिमी) या कम (254 मिमी) वर्षा वाले क्षेत्रों में भी संभव है।
- मृदा प्रकार: बलुई दोमट, जलोढ़, अच्छी तरह से जल निकासी वाली, हवादार और गहरी (2-2.5 मी.) मृदा जिसमें 5.5-7.5 pH हो और जैविक पदार्थों से समृद्ध हो आम की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है।

Source: TH

प्रथम बार जलीय कृषि बीमा योजना

समाचार में

- केंद्र सरकार ने भारत की प्रथम मत्स्य पालन बीमा योजना प्रारंभ की।

मत्स्य पालन बीमा योजना

- यह प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) के अंतर्गत आती है, जो प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) की एक उप-योजना है।
- इसका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले मत्स्य किसानों को जोखिम न्यूनीकरण और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

- पात्र लाभार्थियों में पंजीकृत मत्स्य किसान और मत्स्य मूल्य शृंखला से जुड़ी संस्थाएँ शामिल हैं।
- योजना में दो विकल्प उपलब्ध हैं:
 - ▲ मूल बीमा, जो प्राकृतिक आपदाओं को कवर करता है।
 - ▲ समग्र बीमा, जिसमें बीमारी से सुरक्षा भी शामिल है। प्रत्येक नीति एक फसल चक्र को कवर करेगी।

अन्य संबंधित घोषणाएँ

- सरकार ने 5वीं समुद्री मत्स्य जनगणना (MFC) भी प्रारंभ की, ताकि समुद्री मत्स्य परिवारों, गाँवों, मछली पकड़ने के उपकरणों, और संबंधित बुनियादी ढाँचे को संपूर्ण रूप से प्रलेखित किया जा सके।
- यह प्रथम बार एक भू-संदर्भित, ऐप-आधारित डिजिटल प्रणाली का उपयोग करेगा—ICAR-CMFRI द्वारा विकसित 'VyAS-NAV' मोबाइल ऐप—ताकि रियल-टाइम डेटा संग्रह और सत्यापन किया जा सके।
- यह 3,500 गाँवों में 12 लाख मत्स्य पालन परिवारों को कवर करेगा और विस्तृत जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक, और आजीविका संबंधी डेटा एकत्र करेगा, जिससे सरकारी सहायता का मार्गदर्शन हो सके।
- इसके अतिरिक्त, PMMSY के तहत सात तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ₹255 करोड़ की परियोजनाएँ प्रारंभ की गईं।

क्या आप जानते हैं?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना के रूप में 2024 में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना को मंजूरी दी, जिसे वित्त वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा।
- इस योजना का उद्देश्य वित्तीय और तकनीकी हस्तक्षेपों और संस्थागत सुधारों के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र को बदलना है।

Source :DTE

कुइपर इंटरनेट

संदर्भ

- अमेज़न ने कुइपर इंटरनेट उपग्रहों के पहले बैच को अंतरिक्ष में लॉन्च किया।

विवरण

- छह वर्ष पहले, अमेज़न ने लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में इंटरनेट-संचारित उपग्रहों की एक शृंखला बनाने की योजना का अनावरण किया, जिसे प्रोजेक्ट कुइपर कहा जाता है।
- यह सेवा सीधे एलोन मस्क के स्टारलिंग से प्रतिस्पर्धा करेगी, जो वर्तमान में बाज़ार में प्रभावी रूप से अग्रणी है और 8,000 उपग्रहों को कक्षा में संचालित कर रहा है।
- स्टारलिंग और प्रोजेक्ट कुइपर दोनों का उद्देश्य वैश्विक इंटरनेट अवसंरचना में बदलाव लाना है।
- ये नेटवर्क उन दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट पहुँचाने के लिए बनाए गए हैं, जहाँ पारंपरिक ब्रॉडबैंड, जो कि भूमिगत केबलों पर निर्भर करता है, उपलब्ध नहीं है।
- अमेज़न कुइपर नेटवर्क के निर्माण के लिए 10 अरब डॉलर तक का निवेश कर रहा है।

Source: LM

‘.bank.in’ डोमेन पर स्थानांतरण

संदर्भ

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों को अपने वर्तमान डोमेन को ‘.bank.in’ में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने और 31 अक्टूबर 2025 तक इसे पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

विवरण

- डोमेन नाम का उपयोग वेबसाइट खोजने के लिए किया जाता है।
- यह एक विशिष्ट और याद रखने में आसान पता होता है, जिससे इंटरनेट पर वेबसाइटों तक पहुँच बनाई जाती है।
- वर्तमान में, बैंक ‘.com’ या ‘.co.in’ जैसे अधिक सामान्य डोमेन नाम का उपयोग कर रहे हैं।

- इस पहल का उद्देश्य साइबर सुरक्षा खतरों और दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को कम करना है।
- नए इंटरनेट डोमेन नाम का संचालन इंस्टिट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (IDRBT) द्वारा किया जा रहा है, जिसे राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI) द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत सम्मिलित है और इस डोमेन के लिए विशेष रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेगा।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और इसके क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में हैं, साथ ही भुवनेश्वर, जयपुर और पुडुचेरी में रिकॉर्ड केंद्र हैं।
- इसमें सार्वजनिक रिकॉर्ड्स, निजी दस्तावेज, प्राच्य अभिलेख, नक्शे और माइक्रोफिल्मों का विशाल संग्रह है।
- महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्काइव्स) सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम, 1993 और सरकारी रिकॉर्ड्स के प्रबंधन एवं संरक्षण से जुड़े नियमों को लागू करने की देखरेख करता है।
- ▲ यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI) क्या है?

- NIXI एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत 2003 में पंजीकृत किया गया था।
- इसे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) के बीच आपसी कनेक्शन के लिए स्थापित किया गया था, ताकि देश के भीतर घरेलू इंटरनेट ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सके।
- इससे अंतराष्ट्रीय बैंडविड्थ पर निर्भरता कम होती है, बेहतर सेवा गुणवत्ता मिलती है, और ISPs के लिए बैंडविड्थ लागत कम हो जाती है।

Source: LM

राष्ट्रीय अभिलेखागार का अधिग्रहण

समाचार में

राष्ट्रीय अभिलेखागार (NAI) ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के निजी दस्तावेजों का अधिग्रहण किया। इस संग्रह में व्याख्यान, मौलिक फोटोग्राफ, और उनके व्यक्तिगत दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड और पासपोर्ट, शामिल हैं।

राष्ट्रीय अभिलेखागार (NAI)

- 1891 में कोलकाता में इम्पीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के रूप में स्थापित।
- यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अभिलेखीय भंडार है और भारत सरकार के स्थायी मूल्य वाले रिकॉर्ड्स का संरक्षक है।

क्या आप जानते हैं ?

- डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (1931-2015), तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे
- वे एक प्रसिद्ध वैमानिकी इंजीनियर और वैज्ञानिक थे।
- इसरो में परियोजना निदेशक के रूप में, उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएलवी-III) के विकास का नेतृत्व किया, जिसने 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।
- बाद में, डीआरडीओ में, उन्होंने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किया, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास और पोखरण-द्वितीय परमाणु परीक्षणों सहित भारत की परमाणु क्षमताओं की देखरेख की।
- उन्होंने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (1999-2001) और अन्ना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया, जिससे युवा मस्तिष्क को प्रेरणा मिली।
- ▲ उन्हें “भारत के मिसाइल मैन” के रूप में जाना जाता है, और वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति (2002-2007) थे।
- “पीपुल्स प्रेसिडेंट” के रूप में सम्मानित, उन्होंने राष्ट्रपति पद के बाद के वर्षों में छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान किया। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, माई जर्नी और इग्नाइटेड माइंड्स सहित उनकी साहित्यिक कृतियों ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

Source: TH